

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, रायपुर जिला भीलवाड़ा
पीठासीन अधिकारी:—श्री सुन्दरलाल बम्बोडा, आर.ए.एस.

मुकदमा नम्बर:— 80/2018 वाद पत्र (2018/00185)

अनवान

1—प्रेम देवी पत्नि पारस जाटनिवासी आम्बाखेड़ा तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा

वादीया

बनाम

- 1—कमला देवी पत्नि जोधराज जाट निवासी आम्बाखेड़ा तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
- 2—सत्यनारायण पिता शिवलाल जाट निवासी आम्बाखेड़ा तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
- 3—उदयराम पिता लेहरूलाल जाट निवासी आम्बाखेड़ा तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
- 4—अर्जुन लाल पिता जीतु जाट निवासी आम्बाखेड़ा तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
- 5—रामेश्वर लाल पिता जीतु जाट निवासी आम्बाखेड़ा तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
- 6—मु. घीसी पत्नि जीतु जाट निवासी आम्बाखेड़ा तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
- 7—डाल चन्द पिता हीरा लाल जाट निवासी आम्बाखेड़ा तहसील रायपुर मृतक के बजाय
- 7/1—मदन लाल पिता डालचन्द जाट निवासी आम्बाखेड़ा तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
- 7/2—श्यामुदेवी पुत्री डाल चन्द जाट निवासी आम्बाखेड़ा तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
- 8—समतादेवी पत्नि हरिशंकर जाट निवासी आम्बाखेड़ा तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
- 9—बैंक मैनेजर, बैंक ऑफ बडौदा शाखा आशाहोलीतहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
- 10—राजस्थान राज्य जरिये जहसीलदार साहब रायपुरतहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा

प्रतिवादीगण

वाद पत्र अंतर्गत धारा 53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम
निर्णय

दिनांक 06.08.2020

पत्रावली आज पेश हुई। प्रकरण का सक्षेप मे विवरण इस प्रकार है कि इस न्यायालय के पुर्व आदेश दिनांक 20.06.2019 के द्वारा वादीया का वाद स्वीकार किया जाकर ग्राम नाहरी पटवार हल्का नाहरी तहसील रायपुर बैरून हल्का आबादी में वादीया एवं प्रतिवादीगण संख्या 1 लगायत 8 के संयुक्त खातेदारी अधिकार एवं कब्जे की निम्न आराजियात स्थित है आराजी संख्या 72 रकबा 0.12 है, आराजी संख्या 73 रकबा 0.41 हेक्ट. आराजी संख्या 74 रकबा 1.36 हेक्ट.आराजी संख्या 75 रकबा 0.12 हेक्ट.आराजी संख्या 79 रकबा 0.11 हेक्ट.आराजी संख्या 80 रकबा 1.48 हेक्ट.आराजी संख्या 81 रकबा 2.48 हेक्ट. आराजी संख्या 82 रकबा 0.48 हेक्ट.आराजी संख्या 83 रकबा 0.44 हेक्ट.आराजी संख्या 84 रकबा 0.56 हेक्ट.आराजी संख्या 85 रकबा 0.37 हेक्ट.आराजी संख्या 86 रकबा 2.08 हेक्ट.कुल किता 12 कुल रकबा 10.37 हैक्ट. भूमि राजस्व खाता संख्या 208 पर स्थित है। जिसमे वादीया का 27/80 हिस्सा एवं रहन का इन्द्राज यथावथ रखते हुए एवं बाई मिट्स एण्ड बोण्डस के आधार पर स्वंत्रत राजस्व खाता रेवेन्यु रेकार्ड मे खोले जाने हेतु प्राथमिक डिक्री जारी की गई एव तहसीलदार रायपुर से विभाजन प्रस्ताव तैयार कर पेश करने का आदेश दिया गया था।



तहसीलदार रायपुर द्वारा दिनांक 17.03.2020 को विभाजन प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया। जिसे शामिल पत्रावली किया गया तथा प्रस्तुत विभाजन प्रस्ताव का जारी डिक्री एवं रेकार्ड आफ राईट्स जमाबन्दी से मिलान किया गया और वादीया एवं प्रतिवादीगण के अधिवक्ता को प्रस्ताव अवलोकन कराया जिस पर वादीया एवं प्रतिवादीगण के अधिवक्ता विभाजन प्रस्ताव से सहमत है। उपरोक्त विवरण अनुसार प्राथमिक डिक्री की पालना में प्रस्तुत विभाजन प्रस्ताव स्वीकार किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

आदेश

अतः वादीगण का वाद पत्र स्वीकार किया जाकर अंतिम डिक्री वादीया के पक्ष में विरुद्ध प्रतिवादीगण इस आशय की जारी की जाती है कि ग्राम नाहरी पटवार हल्का नाहरी तहसील रायपुर के बैरुन हल्का आबादी मे की प्रस्तावित आराजी संख्या 86 रकबा 2.08 है0, आराजी संख्या 81/1 रकबा 1.12 है0, आराजी संख्या 85/2 रकबा 0.05 है0, आराजी संख्या 84/2 रकबा 0.13 है0, आराजी संख्या 83/3 रकबा 0.02 है0, कुल किता 5 कुल रकबा 3.40 है0 भूमि प्रेमदेवी पत्नि पारस जाट सा. आम्बाखेड़ा खातेदार तथा प्रस्तावित आराजी संख्या 83/4 रकबा 0.04 है0, आराजी संख्या 81/2 रकबा 1.72 है0, आराजी संख्या 80 रकबा 1.48 है0, आराजी संख्या 82/3 रकबा 0.05 है0, आराजी संख्या 74/3 रकबा 0.11 है0, कुल किता 5 कुल रकबा 3.40 है0 भूमि समतादेवी पत्नि हरिशंकर जाट सा. आम्बाकाखेड़ा खातेदार तथा प्रस्तावित आराजी संख्या 72 रकबा 0.12 है0, आराजी संख्या 73 रकबा 0.41 है0, आराजी संख्या 74/1 रकबा 1.215 है0, आराजी संख्या 82/1 रकबा 0.405 है0, आराजी संख्या 83/1 रकबा 0.36 है0, आराजी संख्या 84/1 रकबा 0.43 है0, आराजी संख्या 85/1 रकबा 0.32 है0, कुल किता 7 कुल रकबा 3.26 है0 भूमि कमलादेवी पत्नि जोधराज, सत्यनारायण पिता शिवलाल, उदयराम पिता लेहरू, अर्जुनलाल रामेश्वर पिता जीतु घीसी पत्नि जीतु डालचन्द पिता हीरा जाट सा. आम्बाकाखेड़ा खातेदार रहन बीओबी शाखा आशाहोली हिस्सा उदयराम पिता लेहरू अर्जुनलाल रामेश्वर पिता जीतु घीसी पत्नि जीतू, कमलादेवी पत्नि जोधराज सत्यनारायण पिता शिवलाल पर तथा प्रस्तावित आराजी संख्या 83/3 रकबा 0.02 है0, आराजी संख्या 82/2 रकबा 0.025 है0, आराजी संख्या 74/2 रकबा 0.035 है0, आराजी संख्या 75 रकबा 0.12 है0, आराजी संख्या 79 रकबा 0.11 है0, कुल किता 5 कुल रकबा 0.31 है0 भूमि शामलाती बदस्तुर रखे जाने का आदेश दिया जाता है। तदनुसार डिक्री जारी हो। खर्चा फरीकेन अपना अपना वहन करें।

निर्णय आज दिनांक 06.08.2020 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।



(सुन्दरलाल बम्बोडा)

सहायक कलक्टर (उपखण्ड अधिकारी)

रायपुर जिला भीलवाड़ा

मूल वाद मे अन्तिम डिक्री
(आदेश 20 रूल्स 6-7 जाब्ता दिवानी)
न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, रायपुर जिला भीलवाड़ा
पीठासीन अधिकारी:-श्री सुन्दरलाल बम्बोडा, आर.ए.एस.

मुकदमा नम्बर:- 80/2018 (2018/00185) वाद पत्र

1-प्रेम देवी पत्नि पारस जाटनिवासी आम्बाखेड़ा तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा

बनाम

वादीया

- 1-कमला देवी पत्नि जोधराज जाट निवासी आम्बाखेड़ा तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
- 2-सत्यनारायण पिता शिवलाल जाट निवासी आम्बाखेड़ा तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
- 3-उदयराम पिता लेहरूलाल जाट निवासी आम्बाखेड़ा तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
- 4-अर्जुन लाल पिता जीतु जाट निवासी आम्बाखेड़ा तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
- 5-रामेश्वर लाल पिता जीतु जाट निवासी आम्बाखेड़ा तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
- 6-मु. घीसी पत्नि जीतु जाट निवासी आम्बाखेड़ा तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
- 7-डाल चन्द पिता हीरा लाल जाट निवासी आम्बाखेड़ा तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा मृतक
- 7/1-मदन लाल पिता डालचन्द जाट निवासी आम्बाखेड़ा तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
- 7/2-श्यामुदेवी पुत्री डाल चन्द जाट निवासी आम्बाखेड़ा तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
- 8-समतादेवी पत्नि हरिशंकर जाट निवासी आम्बाखेड़ा तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
- 9-बैंक मैनेजर, बैंक ऑफ बडौदा शाखा आशाहोलीतहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
- 10-राजस्थान राज्य जरिये जहसीलदार साहब रायपुरतहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा

वाद पत्र अंतर्गत धारा 53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

प्रतिवादीगण

यह मुकदमा वास्त इन फिसान कतई रूबरू हमारे बहाजरी वादीगण का वाद पत्र स्वीकार किया जाकर अंतिम डिक्री वादीगण के पक्ष मे विरुद्ध प्रतिवादीगण इस आशय की जारी की जाती है कि ग्राम नाहरी पटवार हल्का नाहरी तहसील रायपुर के बैरुन हल्का आबादी मे की प्रस्तावित आराजी संख्या 86 रकबा 2.08 है0, आराजी संख्या 81/1 रकबा 1.12 है0, आराजी संख्या 85/2 रकबा 0.05 है0, आराजी संख्या 84/2 रकबा 0.13 है0, आराजी संख्या 83/3 रकबा 0.02 है0, कुल किता 5 कुल रकबा 3.40 है0 भूमि प्रेमदेवी पत्नि पारस जाट सा. आम्बाखेड़ा खातेदार तथा प्रस्तावित आराजी संख्या 83/4 रकबा 0.04 है0, आराजी संख्या 81/2 रकबा 1.72 है0, आराजी संख्या 80 रकबा 1.48 है0, आराजी संख्या 82/3 रकबा 0.05 है0, आराजी संख्या 74/3 रकबा 0.11 है0, कुल किता 5 कुल रकबा 3.40 है0 भूमि समतादेवी पत्नि हरिशंकर जाट सा. आम्बाकाखेड़ा खातेदार तथा प्रस्तावित आराजी संख्या 72 रकबा 0.12 है0, आराजी संख्या 73 रकबा 0.41 है0, आराजी संख्या 74/1 रकबा 1.215 है0, आराजी संख्या 82/1 रकबा 0.405 है0, आराजी संख्या 83/1 रकबा 0.36 है0, आराजी संख्या 84/1 रकबा 0.43 है0, आराजी संख्या 85/1 रकबा 0.32 है0, कुल किता 7 कुल रकबा 3.26 है0 भूमि कमलादेवी पत्नि जोधराज, सत्यनारायण पिता शिवलाल, उदयराम पिता लेहरू, अर्जुनलाल रामेश्वर पिता जीतु घीसी पत्नि जीतु डालचन्द पिता हीरा जाट सा. आम्बाकाखेड़ा खातेदार रहन बीओबी शाखा आशाहोली हिस्सा उदयराम पिता लेहरू अर्जुनलाल रामेश्वर पिता जीतु घीसी पत्नि जीतू, कमलादेवी पत्नि जोधराज सत्यनारायण पिता शिवलाल पर तथा प्रस्तावित आराजी संख्या 83/3 रकबा 0.02 है0, आराजी संख्या 82/2 रकबा 0.025 है0, आराजी संख्या 74/2 रकबा 0.035 है0, आराजी संख्या 75 रकबा 0.12 है0, आराजी संख्या 79 रकबा 0.11 है0, कुल किता 5 कुल रकबा 0.31 है0 भूमि शामलाती बदस्तुर रखे जाने का आदेश दिया जाता है। तदनुसार डिक्री जारी हो। खर्चा फरीकेन अपना अपना वहन करें।

वाद में डिक्री आज दिनांक 06.08.2020 को न्यायालय मोहर एवं मेरे हस्ताक्षर से जारी की गई।

(सुन्दरलाल बम्बोडा)

सहायक कलक्टर (उपखण्ड अधिकारी)
रायपुर जिला भीलवाड़ा

